प्रारूप दो -

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

क्रमांक 25383

यह प्रमाणित किया जाता है कि "[illegible]" सोसायटी, जो [illegible] सोसायटी, [illegible] तहसील रायपुर जिला रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973(क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 31/01/2013 को रजिस्ट्रीकृत की गई हैं।

सहायक पंजीयक
फर्में एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

(डी० एल० धुर्वे)
सोसायटियों का रजिस्ट्रार

मुद्रा

1628720 14/02/013

एक ..... चालान क्र ..... दि .....
द्वारा किया गया है। यह पंजीयन क्र 25383
दिनांक 31/01/013 द्वारा पंजीकृत संस्था की
मूल दस्तावेज की प्रेमाणित प्रति है, जारी हो
दिनांक 28/2/13

PRINCIPAL
Guru Gobind Singh Khalsa Public
Mandanwara Road, Halbandha
RAIPUR (C.G.)

28/2/13
(डी० एल० धुर्वे)
सहायक पंजोयक
फर्में एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़

D.1-210

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

(ACT XXI OF 1860)

NO. T.T/ 95 OF 2009-10

I hereby certify that SANT BABA TARA SINGH BABA CHARAN KAAR SEWA EDUCATIONAL SOCIETY, Dera Nawan Parah, Sarhali Kalan, Distt. Tarn Taran. has this day been registered under the Societies Registration Act. (XXI of 1860) and as amended by Punjab Amended Act. 1957.

Given under my hand at Amritsar this 29th. day of Sep. two thousand & Nine.

Fee Rs. 500/-

Office of Additional Registrar of Societies Amritsar ★ Punjab ★

ADDITIONAL REGISTER OF SOCITIES
PUNJAB : AMRITSAR

Additional Registrar of Societies
Amritsar

29/9/09